आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

24.01.2020

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-229/2019

राज्य

बनाम

1. **मंकर मंडल, पिता मुरली मंडल, सा0-पुरानी नंदगोला, थाना-टीकापट्टी, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल सं0-BR39X-0382 के निबंधित स्वामी)**

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **टीकापट्टी थाना कांड सं0-65/2019 दिनांक 11.06.19** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 2908/हि0शा0 दिनांक-03.08.2019** द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **उक्त वाहन की जाँच दिनांक 11.06.19 को बैरिया डुमरी मुख्य सड़क स्थित बनारसी मंडल के घर के सामने की गई**। जांच के क्रम में **जप्त वाहन से एक प्लास्टिक के बोतल में 02 लीटर 250 मि0ली0 देशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में जप्त वाहन के निबंधित स्वामी (विपक्षी) द्वारा दिनांक 19.09.19 को कारणपृच्छा समर्पित किया गया है जिसमें वर्णित है कि जप्त वाहन से अवैध कार्य नहीं किया है। जप्त शराब के संबंध में वाहन मालिक अनभिज्ञ हैं। वाहन मालिक अवश्यक बंध-पत्र एवं Under Taking देने के लिए तैयार हैं। अतएव जप्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **एक प्लास्टिक के बोतल में 02 लीटर 250 मि0ली0 देशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है**। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि **"उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।"** स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 **"विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू**

होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी वाहन मालिक से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी वाहन मालिक द्वारा समर्पित कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त मोटर साईकिल सं०-BR39X-0382** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

24/01/20

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।